



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64075

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5754 वर्ष 2026

सोन्

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: अनीता सिंह, कुमारी पूनम राजपूत, निर्मला कुमारी, प्रेम बाबू वर्मा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-65

(283 में से क्रम संख्या 56)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. सुश्री अनीता सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से; श्री मासूम आलम, विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता की ओर से तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या-407 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धाराओं 64(2)M, 70(2), 351(3) एवं पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 5(G)/5L/6 के अधीन, थाना जलेसर, जनपद एटा में जमानत मांग रहा है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने दिनांक 08.09.2025 को रात लगभग 10 बजे पीड़िता को ईंट भट्टे पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और पीड़िता के शरीर के संवेदनशील अंग पर चोटें आईं और जब वह ठीक नहीं हुई तब वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
5. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग पांच दिन विलंब से दर्ज की गई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि घटना का कोई चिकित्सीय समर्थन नहीं है क्योंकि चोट रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर के किसी भी अंग पर कोई चोट नहीं पाई गई है, अतः यह स्पष्ट रूप से झूठे फंसाने का मामला है। यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कहानी से संकेत मिलता है कि पीड़िता को कुछ चोटें आई होंगी। पीड़िता अपने रूप-रंग से वयस्क प्रतीत होती है, यद्यपि अस्थि-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अपराध के समय उसकी आयु 15 से 16 वर्ष के बीच आई है, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुरूप ऊपर की ओर दो वर्ष की छूट आवेदक को दी जा सकती है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 14.09.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः वह जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता की ओर से इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया गया है कि यह सत्य है कि पीड़िता की चोट रिपोर्ट घटना की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि उसकी चिकित्सीय जांच घटना के लगभग सात दिन बाद की गई, जिससे स्पष्टतः वह ठीक हो गई होगी। पीड़िता नाबालिग है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
9. पीड़िता की आयु के संबंध में, उच्चतम न्यायालय द्वारा *जया मला बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य*, (1982) 2 SCC 538 एवं *मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी राज्य)*, (2011) 10 SCC 192 में पारित निर्णय के अनुसार, जिसमें यह मत दिया गया है कि रेडियोलॉजिस्ट सही जन्म तिथि का अनुमान नहीं लगा सकता बल्कि दोनों ओर 1 से 2 वर्ष का बड़ा अंतर होता है, आवेदक को ऊपरी पक्ष में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।
10. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब एवं घटना का कोई चिकित्सीय समर्थन न होने पर विचार करते हुए, मैं प्रथम दृष्टया इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य मामला पाता हूं। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
11. आवेदक-सोनू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रतिभूतियों के सत्यापन के अधीन, निजी मुचलका एवं दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, साक्षियों को डराएगा नहीं और आवश्यकता पड़ने पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत निरस्त हो जाएगी। इसमें की गई टिप्पणियां गुण-दोष के आधार पर विचारण को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

26 मार्च 2026

सिद्धांत

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”